महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः सामान्य/7/2002/पार्ट/ 18503-622 दिनांकः 08/06/2022

आदेश

राज्य की कारागृहों हेतु मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों के कारागृह का भ्रमण किए जाने के दौरान उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते है :-

1. गैर शासकीय विजिटर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किये गये रोस्टर अनुसार कारागार का विजिट करेंगे तथा भ्रमण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को जेल भ्रमण करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
2. गैर सरकारी सदस्य कारागृहो के भ्रमण के दौरान रसाईघर (किचन), लाईब्रेरी एवं मनोरंजन कक्ष देख सकेंगे।
3. गैर सरकारी सदस्य बंदियों से वार्ता कर सकेंगे एवं उनकी कोई समस्या हो तो अधीक्षक को अवगत करवायेंगे।
4. गैर सरकारी सदस्य कारागृह में भ्रमण के दौरान बीमार, मानसिक, भूख हड़ताल, गंभीर अपराध में निरूद्ध एवं सैल्स के बंदियों से नहीं मिल सकेंगे।
5. गैर सरकारी सदस्य कारागृह अधीक्षक से चर्चा कर बंदियों के कल्याण हेतु मनोरंजन एवं खेलकूद सामग्री, लाईब्रेरी हेतु पुस्तके भेंट करवा सकेंगे।
6. गैर सरकारी सदस्य कारागृहों में एन.जी.ओ. के माध्यम से बंदियों के स्वास्थ्य हेतु मेडिकल, योगा एवं ध्यान योगा के कैम्प आयोजित करवा सकेंगे।
7. गैर सरकारी दर्शक कारागृहों में बंदियों की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप अधीक्षक से चर्चा कर दानदाताओं से सामग्री भेंट करवा सकेंगे।
8. विजिटर जेल भ्रमण के पश्चात विजिटर बुक में अपने सुझाव दे सकेंगे।

(विक्रम सिंह)
महानिरीक्षक कारागार,
राजस्थान,

प्रतिलिपिः-

1. महानिरीक्षक कारागार/पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. समस्त प्रभारी, कारागृह/सुधारगृह/उप कारागृह राजस्थान।
4. अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. निजी सचिव/निजी सहायक, महानिदेशक/अति. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार, जयपुर को अपलोड हेतु।

महानिरीक्षक कारागार,
राजस्थान,